Attchment-2.2

संख्या- 4665 / III(2)/14-22(प्रा0आ0)/20

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 23 सितम्बर, 201

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 08 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 126.78 किमी0 + 05 सेतु सहित तथा लागत ₹ **1104.68** लाख है, पर टी0ए0सी0 सेल द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **1096.17 लाख** (₹ दस करोड़ छियान्बे लाख सतरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 08 कार्यो हेतु ₹ **0.80** लाख (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

(ix)-- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभि॰ का होगा।

(x)-- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31--03--2015 तक सुनिश्चित किया जाये। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय सं॰ मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़॰ योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रू॰ से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रख॰ हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014--15 में लोक निर्माण विभाग के अनुदा॰ सं0--22--लेखाशीर्षक--5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय--04 जिला तथा अन्य सड़कें --आयोजनाग॰ --800--अन्य व्यय--03 राज्य सेक्टर--02 नया निर्माण कार्य--24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग--2 के अशासकीय संख्या--370/XXVII/(2)/2014 दि0-- 22 सितम्बर, 2014 प्रा॰ उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः-- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः-- 4665 (1)/III(2)/14--22(प्रा0आ0)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :--

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग--2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0 पांगती)
उप सचिव

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

शासनादेश संख्या:- 4665 / III(2)/14-22(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—पनार मोटर मार्ग का 1.50 लेन में परिवर्तन (किमी0 5 से 81.400 तक) व किमी0 13 में 15 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य।	75.700	724.82 (₹ 18.76 लाख + ₹ 706.06 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र—लैन्सडाउन में फतेहपुर—लैंसडाउन गुमखाल मोटर मार्ग 1.50 लेन में परिवर्तन का कार्य।	31.83	104.08 (₹ 7.32 लाख + ₹96.76 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र—लोहाघाट में घूनाघाट—भिंगराड़ा—रीठासाहिब मोटर मार्ग के किमी0 7 से क्वीड़ागाँव (दुबड़) तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	46.80	0.10
4	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र—पुरोला में ग्राम पंचायत किराणु तोक पटक्यार में पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	30 mt	2.46	0.10
5	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र—द्वाराहाट में कोरीछीना—कफवालीपोखर मोटर मार्ग के किमी0—14 से डोटलगांव मोटर का 18 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुल सहित निर्माण।	7.50 + 01	159.89 (₹ 45.14 लाख + ₹ 114.75 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत बागेश्वर—कपकोट—तेजम मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में अनर्सा—उडियारकुड़ी—सन् तक मोटर मार्ग का प्रारम्भिक आगणन।	3.00 + 02	19.23	0.10
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में कैम्पटी— चडोगी मोटर मार्ग के किमी0 1 से धारगांव के लिए सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	0.750	36.38 (₹ 4.38 लाख + ₹ 32.00 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	जनपद देहरादून में लम्बीधार—किमाड़ी—देहरादून मोटर मार्ग के किमी0 4 से बरानी नदी पर सहज योगधाम, गंगोल पंडितवाड़ी (जवाड़ीगांव) के पास प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु का निर्माण।	24 mt	2.51	0.10
	योग:—	126.73 + 05 Brg	1096.17	0.80

(कुल ₹ अस्सी हजार मात्र)

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

Attchement-

प्रारुप–5

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में धूनाघाट–भिगराड़ा–रीठासाहिब मोटर मार्ग के किमी0 07 से क्वीडागॉव (दुबड़) तक मोटर मार्ग निर्माण – लम्बाई 6.500 किमी0

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या 4665/।।।(2)/14–22(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23–09–2014 के द्वारा प्राप्त हुई है। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है।

SE

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत